

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 61/2017

बन्दा 510 मोती मीख
R10 जेतलिया तहसिल
— जमी

- बनाम (1) उन्नीवाड 510 देवी गुर्जर R10 कापीकोल
(2) गिरधारी 510 देवी गुर्जर R10 कापीकोल
(3) लोखम 510 देवी गुर्जर —
(4) लखी 510 नारु मीख —
(5) गिरधारी 510 देवी गुर्जर —
(6) छुन्नीवाल 510 देवी गुर्जर —
(7) सोराम 510 देवी गुर्जर —

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 16/05/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री नन्दा मीख ने जरिये अभिभाषक श्री दिनेश तहसील ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कापीकोल तह0 माण्डलगढ मे आराजीन प0ह0 सिंगोली 535, 536, 537, 538, 539, 540, 616/538, 698/538 कित्ता 8 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जा साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्राथ की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाब शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडत है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाक ग्राम कापीकोल की आराजी न0 535, 536, 537, 538, 539, 540, 616/538 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा 698/538 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जा के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 500 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। ए पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदा माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ जि-भीलवाडा